संदर्भ सं.: APEDA/CRL-2023-24-00006

18.08.2023

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 3-5 नवंबर, 2023 को आयोजित "वर्ल्ड फूड इंडिया 2023" के दौरान क्रेता-विक्रेता बैठक के आयोजन हेतु बोलियां आमंत्रित करने हेतु निविदा

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई।

एपीडा को निम्नलिखित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है:

- फल, सब्जी तथा उनके उत्पाद
- मांस तथा मांस उत्पाद
- कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद
- डेरी उत्पाद
- कन्फेक्शनरी, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद
- शहद, गुड़ तथा चीनी उत्पाद
- कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चौकलेट
- मादक तथा गैर मादक पेय
- अनाज तथा अनाज उत्पाद
- गाउंडनट्स, मूंगफली और अखरोट
- अचार, पापड़ और चटनी
- ग्वार गम
- पुष्पकृषि तथा पुष्पकृषि उत्पाद
- जडी बूटी तथा औषधीय पौधे
- तेल रहित चावल भूसी
- लवणजल में हरी मिर्च
- काजू तथा उसके उत्पाद
- एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में बासमती चावल को शामिल किया गया है।

2. आवश्यकताएं

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण "एपीडा" द्वारा "वर्ल्ड फूड इंडिया 2023" में भाग लिया जा रहा है, जो प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 3-5 नवंबर, 2023 तक

आयोजित किया जाएगा (इसके बाद "प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित किया जाता है)। एपीडा द्वारा अपने अनुसूचित उत्पादों के विकास और प्रचार को प्रदर्शित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदारों , गणमान्य व्यक्तियों, नीति निर्माताओं को आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

3. पात्रता

3.1 निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता रखने वाली एजेंसियों को आद्योपांत (टर्नकी) आधार पर इस इवेंट के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है:-

3.2 एजेंसियों को पंजीकृत व्यावसायिक इकाई / सेवा प्रदाता होना चाहिए। पंजीकरण क्रमांक, टैन / प्रत्यक्ष कर / आयकर / व्यापार कर / वैट / जी.एस.टी आदि के रूप में लागू तकनीकी बोली प्रारूप में उद्धृत किया जा सकता है और प्रमाण पत्र/प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए। ये दस्तावेज़ केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सिस्टर संगठनों के नाम पर। दूसरे शब्दों में , प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।

3.3 कंपनी क्रेता प्रबंधन और भारत में आरबीएसएम/क्रेता-विक्रेता बैठकों की व्यवस्था करने में पिछले तीन वित्तीय वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए।

3.4 कंपनी को पिछले पांच वित्तीय वर्षों में कम से कम 5 (पांच) बीएसएम का प्रबंधन करना।

3.5 इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय के कार्यान्वयन के लिए पिछले 3 वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान न्यूनतम 5 ,00,00,000/- रुपये (पांच करोड़ रुपये मात्र) का औसत टर्नओवर। उपर्युक्त अवधि के लिए आवेदक संगठन के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला एक सीए प्रमाणपत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होगा, समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर नहीं।

3.6 नई दिल्ली में देय "एपीडा" के पक्ष में 2 ,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) की राशि के लिए डीडी के रूप में ईएमडी बोली के लिए आवश्यक है , जिसके बिना बोली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.7 एक स्व-प्रमाणित वचनबंध प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उन्हें कभी भी किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख तक लागू नहीं है।

4. कार्य-क्षेत्र

भारत से कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की सोर्सिंग में रुचि रखने वाले दुनिया भर से लगभग 500 विदेशी खरीदारों को आमंत्रित किया जाए। एजेंसी ईमेल और कॉल के माध्यम से खरीदारों के साथ समन्वय करेगी और आमंत्रित खरीदारों का रिकॉर्ड बनाए रखेगी। एपीडा स्क्रीनिंग कमेटी पंजीकृत विदेशी खरीदारों को मंजूरी देगी। हालाँकि , केवल पंजीकरण खरीदारों की मंजूरी की गारंटी नहीं देगा। स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम होगा। अनुमोदित होस्टेड क्रेता कार्यक्रम के अनुसार अनुमोदित विदेशी खरीदारों की मेजबानी एपीडा द्वारा की जाएगी।

4.1 एपीडा स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विधिवत अनुमोदित, सभी क्षेत्रों में 500 विदेशी खरीदारों का अधिग्रहण करने के लिए एक व्यापक अभियान निष्पादित करना।

4.2 एजेंसी 500 अनुमोदित विदेशी खरीददारों का लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या में विदेशी खरीददारों का पंजीकरण सुनिश्चित करेगी।

4.3 पंजीकृत विदेशी खरीददारों की सूची अनुमोदन के लिए समय-समय पर एपीडा स्क्रीनिंग समिति को अग्रेषित करना।

4.4 विदेशी खरीदारों/गणमान्य व्यक्तियों को उनकी मंजूरी के बारे में सूचना देना और आवश्यकतानुसार टिकट और होटल बुक करने के लिए उनकी लिखित सहमति और अन्य आवश्यक विवरण प्राप्त करना।

4.5 विदेशी खरीदारों की होस्टिंग के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से वीज़ा अनुशंसा पत्र जारी करना।

4.6 अनुमोदित खरीदारों को वीज़ा प्राप्त करने और एयरलाइन टिकट बुक करने में मदद करने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय मिशनों (एपीडा की ओर से) से संचार करना।

4.7 प्रत्येक क्षेत्र के लिए टिकट जारी करने से पहले , एजेंसी को सबसे कम उपलब्ध इकोनॉमी क्लास हवाई किराए का निर्धारण करना होगा और सहायक दस्तावेजों के साथ अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

4.8 इवेंट के अंत में विवरण के साथ समेकित बिल जमा करने के बाद एपीडा द्वारा टिकट बुकिंग के शुल्क का भुगतान भी वास्तविक के अनुसार किया जाएगा। प्रतिपूर्ति

बुकिंग के समय दिए गए स्लॉट में सेक्टरों के बीच नॉन-स्टॉप सीधी उड़ान के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सबसे सस्ते इकोनॉमी किराए के अधीन वास्तविक हवाई किराए तक सीमित होगी।

4.9 प्रश्नों के समाधान और किसी विशेष आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अनुमोदित खरीदारों के साथ नियमित पत्राचार का प्रबंधन करना , निर्यातकों के साथ बैठक के लिए उनकी सुचारू यात्रा, होटल प्रवास, स्थानीय परिवहन की व्यवस्था करना।

4.10 भारत के लिए अपनी संबंधित उड़ानों में सवार होने वाले विदेशी खरीदारों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी रखना।

4.11 एपीडा द्वारा नियुक्त होटलों के साथ हवाई अड्डे से पिक/ड्रॉप और होटल चेक-इन/चेकआउट का समन्वय करें। हवाई अड्डे से होटल और कार्यक्रम स्थल तक हवाई अड्डे से पिकअप और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था करने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी नियुक्त की जाएगी।

4.12 होटलों की पहचान एपीडा द्वारा की जाए और सभी स्थल लागत और खरीदारों के लिए होटल में ठहरने की लागत वास्तविक बिलों के अनुसार एपीडा द्वारा वहन की जाएगी।

4.13 शटल एयरपोर्ट/बस/कार/टैक्सी के साथ प्लेकार्ड/स्टैंडी के साथ खरीदारों के स्वागत के लिए जनशक्ति को तैनात किया जाए और प्रवेश बैज और किट वितरण के साथ खरीदारों का स्वागत किया जाए। एजेंसी को दिल्ली हवाई अड्डे पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमति लेनी होगी।

4.14 प्रत्येक होटल में जहां ग्राहक ठहरते हैं , साथ ही कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त स्टाफ सदस्यों के साथ एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए।

4.15 क्रेता निर्देशिका का विकास, तैयारी और मुद्रण (500 प्रतियां - आकार 7"x9.5")।

4.16 इसके अतिरिक्त, चयनित एजेंसी को संपादन , प्रूफ रीडिंग और मूल्यवर्धन के साथ-साथ एपीडा द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के आधार पर सामग्री विकसित करनी होगी।

4.17 पूरे कार्यक्रम के लिए हाई रेजोल्यूशन स्टिल फोटोग्राफी और कम से कम 5 x7 आकार की 100 तस्वीरों वाले दो फोटो एलबम और वीडियो कवरेज (दो दिन) के साथ-साथ यूट्यूब पर अपलोड करने और एपीडा की वेबसाइट पर लिंक प्रदान करने के लिए 3 मिनट का वीडियो जमा करना होगा। गतिविधि के लिए एक पेशेवर फोटोग्राफर की सेवाएं ली जाए।

4.18 खरीदारों को आयोजन स्थल पर लाना और समूह पर्यटन , बी2बी बैठकें , प्रतिनिधिमंडल बैठकें, एफएंडबी आदि जैसी ऑनसाइट गतिविधियों का प्रबंधन करना।

4.19 देश के नेताओं के लिए एपीडा स्मारिका (अनुमानित 50 और रेंज रु 5000/- प्रत्येक लगभग) एपीडा द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

4.20 एजेंसी को टर्नकी आधार पर कार्य दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो , तो एजेंसी को एपीडा अधिकारियों और खरीदार प्रदर्शकों के साथ उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में समन्वय करने की भी आवश्यकता होगी।

4.21 शो के दौरान प्रदर्शकों के साथ ऑनसाइट बी2बी बैठकें आयोजित करना। एजेंसी को बी2बी बैठकों के लिए अपने तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करना चाहिए, विशेषकर ऐप आधारित।

4.22 आरबीएसएम के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक कोई अन्य गतिविधि एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी।

5. सामान्य

5.1 चयनित बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि पवेलियन के निर्माण और रखरखाव और अंत तक आयोजन के समन्वय के लिए साइट पर उपयुक्त श्रमशक्ति मौजूद है। चयनित बोलीदाता आयोजन के अंत तक आयोजकों के सभी लागू बिलों का निपटान करेगा।

6. नियम एवं शर्तें

6.1 एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन में अनुमोदित बोलीदाता कार्य करेगा। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।

6.2 बोली मूल्य सभी लागू करों सहित केवल भारतीय रुपए में कोट की जाएंगी।

6.3 इच्छुक पात्र एजेंसियां नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 2,00,000/- रु. (दो लाख रुपये मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) सहित सहायक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक- I और II के अनुसार अपनी बोलियां जमा कर सकती हैं। असफल बोलीदाता को विक्रेता के चयन के बाद ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी।

6.4 एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उनके द्वारा किराए पर लिए गए/श्रमशक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करे।

6.5 एजेंसी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। बोली की वैधता बोली जमा करने के अंतिम दिन से 30 दिनों के लिए होगी।

6.6 एपीडा की आवश्यकता है कि इस अनुबंध के तहत बोलीदाता समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें और किसी भी सतर्कता जांच से मुक्त रहे। बोलीदाताओं को एपीडा को निविदा दस्तावेज तैयार करने और जमा करने से जुड़ी लागत को वहन करना होगा।

6.7 एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

6.8 एपीडा किसी आवेदक/बोलीदाता को या तो अनिश्चित अवधि या निश्चित अवधि के लिए अनुबंध/अनुबंधों को सौंपने के लिए अयोग्य घोषित करेगा, यदि यह किसी भी समय निर्धारित करता है कि आवेदक/बोलीदाता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

6.9 एजेंसी एपीडा को किसी भी दावे, हानि, मुकदमे, देयता के लिए हानिरहित क्षतिपूर्ति करेगी।

6.10 एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू भी नहीं है।

6.11 एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

- अपने विवेक से आवेदन/बोली दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।
- बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
- अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, अध्यक्ष एपीडा का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों अर्थात बोलीदाता और एपीडा के लिए बाध्यकारी होगा।

7. तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा करने के लिए दिशानिर्देश

7.1. अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद तकनीकी और वित्तीय बोलियों को इवेंट के नाम अर्थात, **दिनांक 4 सितंबर 2023 शाम 5.30 बजे तक** लिफाफे में नई दिल्ली में दिनांक 3-5 नवंबर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। एजेंसी कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियों की अनुमति नहीं है और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। **बोली पूर्व बैठक दिनांक 29 अगस्त 2023 को 1600 बजे एपीडा, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।**

7.1 कवर 1: तकनीकी बोली: निम्नलिखित दस्तावेजों को शामिल करने के लिए इवेंट का नाम और "तकनीकी बोली" लिखें:

(अनुलग्नक 'I')

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य विवरण:
एजेंसी का नाम व पता
संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण

पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या सहित एजेंसी का प्रोफाइल
भारत में क्रेता प्रबंधन और आरबीएसएम/क्रेता-विक्रेता बैठकों की व्यवस्था करने में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव.. (कार्य आदेशों की प्रतियां संलग्न की जाए)।
इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय के कार्यान्वयन के लिए पिछले 3 वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान न्यूनतम 5,00,00,000/- रुपये (पांच करोड़ रुपये मात्र) का औसत टर्नओवर। उपर्युक्त अवधि के लिए आवेदक संगठन के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला एक सीए प्रमाणपत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होगा, समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर नहीं।
पिछले 3 वर्षों के नवीनतम आयकर रिटर्न की स्व प्रमाणित प्रति और जीएसटी संख्या के साथ पैन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।
एपीडा, नई दिल्ली के पक्ष में 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) की राशि के लिए डीडी के रूप में ब्याज निशुल्क बयाना जमा "ईएमडी" की प्रस्तुति बोली हेतु अनिवार्य है जिसके बिना बोली आदेश अस्वीकार कर दिया जाएगा।
एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और उक्त आज की तारीख में लागू नहीं है।

दिनांक:
स्थान:
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
कंपनी की मुहर सहित पदनाम:

7.3 कवर 2: वित्तीय बोली: इवेंट का नाम और "वित्तीय बोली" (अनुलग्नक II) लिखें**:**

निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरण को शामिल करना। केवल भारतीय रुपये में प्रमुख घटकों के अलग-अलग ब्रेक-अप के साथ विधिवत दिनांकित वित्तीय बोली। एकमुश्त राशि पर विचार नहीं किया जाएगा। यह एक अलग लिफाफे में विधिवत मुहरबंद होगा।

अनुलग्नक II (वित्तीय बोली)

क्रम सं.	**कार्य विवरण**	**रुपए में राशि**
1	500 क्रेताओं के लिए क्रेता अधिग्रहण एवं प्रशासन लागत	
2	ऑनसाइट प्रबंधन और बी2बी बैठकें	
3	लागू कर	
4	कुल राशि (करों सहित)	
5	गतिविधि के अनुसार तैनात श्रमशक्ति का विभाजन	

टिप्पणी

- स्थल संबंधी सभी लागतें, किराया, बिल्ट-अप, वाई-फाई, एलईडी स्क्रीन, एफएंडबी इस अनुबंध के दायरे में नहीं हैं और यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- होटल बुकिंग, हवाई टिकटिंग, विदेशी मुद्रा प्रतिपूर्ति, परिवहन, अनुवादक और दुभाषिया इस अनुबंध के दायरे में नहीं हैं और यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- उद्धृत कीमतों के भीतर खरीदारों की संख्या में 5% ± तक की भिन्नता पर विचार किया जाएगा। खरीददारों की संख्या में भिन्नता होने की स्थिति में 5% से अधिक का दौरा करने पर शुल्क पूर्व-दर के आधार पर माना जाएगा।

8. चयन प्रक्रिया

8.1 एपीडा में एक समिति एजेंसियों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देने के लिए शॉर्टलिस्ट एजेंसियों की आवश्यकता होगी।

अंकों का विवरण नीचे दिया गया है::

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**स्कोर / वेटेज**
1.	समग्र अवधारणा	20

2.	साइट स्थल निष्पादन कार्यनीति पर क. श्रमशक्ति तैनाती का विवरण ख. स्थानीय परिवहन के लिए पद्धति ग. B2B बैठकों के लिए प्रबंधन रणनीतियाँ	30
4.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2020-21 , 2021-22, 2022-23) में कंपनी का औसत टर्नओवर, अंकों का विवरण नीचे दिया गया है: 5 करोड़ से कम: अयोग्य 5 - 7.5 करोड़ 5 अंक 7.51 - 10 करोड़ 10 अंक	10
5.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में समान प्रकृति के पिछले कार्य। अंकों का विवरण नीचे दिया गया है: 1 अनुबंध 2 अंक 2 - 3 अनुबंध 6 अंक 3 से अधिक अनुबंध. 10 अंक	10

9. वित्तीय बोलियों का आरंभ:

9.1 अंकन सभी प्रस्तुतियों पर किया जाएगा। जो वेंडर तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) सुरक्षित करते हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी। वित्तीय बोली में अधिकतम 30 अंक होंगे। अंकन की गणना के लिए निम्न विधि होगी:

L1 = 30 अंक

L2 = 30XL1 (L1 द्वारा उद्धृत मूल्य) / L2 (L2 द्वारा उद्धृत लागत) और L3, L4 आदि के लिए इसी तरह से (पार्टियों की संख्या पर निर्भर करता है)।

9.2 वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के बाद तकनीकी और वित्तीय अंक जोड़े जाएंगे और उच्चतम कुल अंकों की स्कोरिंग करने वाली एजेंसी चयनित किया जाएगा।

9.3. चयन समिति के पास अनुबंध / आदेश देने से पहले किसी भी समय , किसी भी कारण को बताए बिना और एपीडा पर किसी भी देयता के दायित्व के बिना घोषणा को वापस लेने , स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। एपीडा के पास कीमतों में कमी लाने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी है।

10. अप्रत्याशित घटना:

इस अनुबंध के दौरान यदि किसी भी समय किसी भी पक्ष के द्वारा युद्ध , सार्वजनिक शत्रु की

गतिविधि, नागरिक विद्रोह, अंतर्ध्वंस, राज्य विधान या सांविधिक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो स्थापनाओं और कॉन्ट्रैक्टर की सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग लगने, बाढ़ आने, प्राकृतिक आपदाओं जैसे एक्ट ऑफ गॉड (इसके बाद इवेंट के रूप में जाना जाता है) के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अपने दायित्व/कार्योंको रोका या लंबित किया जाता है और प्रभावित पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को इस प्रकार की घटनाओं की सूचना 15 कैलेंडर दिनों के भीतर देने पर किसी भी प्रकार के गैर-प्रदर्शन/प्रदर्शन के निलंबन की स्थिति में न तो पार्टी इस अनुबंध को समाप्त करने की हकदार होगी, और न ही पार्टी के पास इस तरह के गैर-प्रदर्शन के बारे में या प्रदर्शन में देरी के संबंध में , दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए इस तरह के कोई दावे नहीं होंगे। इस तरह के कार्यक्रम (इवेंट) के समाप्त होने या अस्तित्व में आने के बाद अनुबंध को फिर से शुरू किया जा सकेगा। सेवा को शुरु करने या ना करने का अंतिम निर्णय अध्यक्ष , एपीडा का होगा। इस अनुबंध के अंतर्गत ऐसी किसी भी घटना के कारण 30 दिन की अवधि से अधिक होने पर इवेंट को रोका जा सकता है या पार्टी के अनुबंध को समाप्त किया सकता है।

11. मध्यस्थता:

इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। किसी भी विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष सुलह के लिए सभी प्रयास करेंगे। किसी भी प्रश्न के संबंध में , विवाद या उस संबंध में समझौते के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले अंतर (मामलों के अतिरिक्त , इस समझौते के अंतर्गत विशेष रूप से प्रदान किया गया निर्णय) अनसुलझा रहता है , उसी को एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा जिसे अध्यक्ष , एपीडा द्वारा नियुक्त किया जाना है और उनके द्वारा दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष , एपीडा द्वारा निर्णित कोई अन्य स्थान मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान हो सकता है। पूर्वोक्त रूप में किसी भी और प्रत्येक संदर्भ के अनुसार , कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेकाधीन होगा।

12. भुगतान की शर्तें:

सफल एजेंसी को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा:

i. किए गए खर्च के प्रमाण की प्रस्तुति पर या समान राशि की बैंक गारंटी के पर 50% तक की लागत का अग्रिम भुगतान।

ii. इवेंट के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु इवेंट के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।

iii. बोलीदाता को तैयारी और प्रस्तुति से जुड़ी सभी लागतों को वहन करना होगा।

13. बोलियों की प्रस्तुति

13.1 बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित तरीके से मुहरबंद लिफाफे में सहायक दस्तावेजों के साथ बोलियां प्रस्तुत की जाएं:

लिफाफा I: **ई.एम.डी-** इसमें नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 2 **,**00,000/- रुपए (दो लाख रुपए मात्र) के डी.डी के रूप में बयाना राशि हो।

लिफाफा II: इसमें सहायक दस्तावेज़ों के साथ विधिवत रूप से भरा गया संलग्नक- **I** (तकनीकी बोली) हो। यह लिफाफा मोहरबंद हो और इस पर "प्रगति मैदान**,** नई दिल्ली में 3-5 नवम्बर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड के दौरान विशेषज्ञ विदेशी क्रेता प्रबंधन हेतु तकनीकी बोली" उल्लिखित हो।

लिफाफा III: इसमें संलग्नक-**II** (वित्तीय बोली) हो जिसे लेआउट योजना और निविदा दस्तावेज़ के नियम एवं शर्तों के आधार पर एपीडा की पूर्ण परियोजना हेतु सभी करों को शामिल कर भारतीय रूपयों में बोली के मूल्य के लिए विधिवत रूप से भरा गया हो। यह लिफाफा मोहरबंद हो और इस पर "प्रगति मैदान**,** नई दिल्ली में 3-5 नवम्बर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड के दौरान विशेषज्ञ विदेशी क्रेता प्रबंधन हेतु वित्तीय बोली" उल्लिखित हो।

लिफाफा IV: लिफाफा IV में लिफाफे- I, II, III रखे जाएं और लिफाफा IV को भी मुहरबंद किया जाए। लिफाफे- I, II, III और IV पर स्पष्ट रूप से बोलीदाता का नाम, पूरा पता, टेलीफोन नं., ई-मेल लिखा जाए। मास्टर लिफाफा (लिफाफा IV) पर "प्रगति मैदान**,** नई दिल्ली में 3-5 नवम्बर, 2023 तक आयोजित वर्ल्ड फूड के दौरान तकनीकी बोली और वित्तीय बोली विशेषज्ञ विदेशी क्रेता प्रबंधन " उल्लिखित हो।

बोली नीचे दिए गए पते पर निदेशक महोदय को प्रस्तुत की जाए।

निदेशक
एपीडा
तीसरी मंजिल**,** एन.सी.यू.आई बिल्डिंग**,** 3**,** सिरी सांस्थानिक क्षेत्र**,**
एशियार्ड गांव के सामने**,** अगस्त्त क्रांति मार्ग**,**
नई दिल्ली-110016

- ⇒ **बोली पूर्व बैठक दिनांक 29 अगस्त 2023 को 1600 बजे एपीडा , नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।**
- ⇒ **बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2023 शाम 5.30 बजे तक है।**

14. प्रदर्शन आश्वासन

यदि एजेंसी का प्रदर्शन कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी प्रकार की कमी रह जाती है/ कार्य के क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

****